

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-23072021-228430
SG-DL-E-23072021-228430

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 198]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 22, 2021/आषाढ़ 31, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 92
No. 198]	DELHI, THURSDAY, JULY 22, 2021/ASHADHA 31, 1943	[N. C. T. D. No. 92

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

(महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ)

अधिसूचना

दिल्ली, 22 जुलाई, 2021

फा. सं. ६०(९३०) डीडब्ल्यूसीडी/डब्ल्यूईसी/रिकोन डीसीडब्ल्यू/२०२०-२१/6864-79.—दिल्ली महिला आयोग अधिनियम १९९४ (दिल्ली अधिनियम १९९४ की संख्या ८) की धारा ३ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली के लिए दिल्ली महिला आयोग का निम्न व्यक्तियों सहित पुनर्गठन अधिसूचना के द्वारा दिनांक २७.०७.२०२१ से २६.०७.२०२४ तक करती है—

- | | | |
|--|---|---------------------------|
| १. सुश्री स्वाती मालीवाल
बी-६३५, ए अवंतिका , रोहिणी,
सेक्टर-१, नई दिल्ली- ११००८५ | - | अध्यक्ष |
| २. सुश्री प्रोमिला गुप्ता
ए १६, ओल्ड मार्किट,
तिमारपुर, दिल्ली, ११००५४ | - | सदस्य |
| ३. सुश्री सारिका चौधरी
६, भगवानदास रोड, मंडी हाउस,
नई दिल्ली ११०००१ | - | सदस्य |
| ४. सुश्री किरण नेगी
जेजी२-, १७४, विकासपुरी,
नई दिल्ली ११००१८- | - | सदस्य |
| ५. सुश्री फिरदोस खान
एच- २९, रेस कोर्स मस्जिद,
नई दिल्ली- ११०००३ | - | सदस्य |
| ६. सुश्री वंदना सिंह
३३१५/, राजपुर रोड, सिविल लाईन्स,
दिल्ली। ११००५४ | - | सदस्य |
| ७. श्री पी.पी ढल .
मकान नं०, १५००, सैक्टर १५ -,
सोनीपत, हरियाणा। १३१००१ | - | सदस्य सचिव (गैर आधिकारिक) |

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य एवं सदस्य सचिव ३ वर्षों तक दिल्ली महिला आयोग अधिनियम १९९४ की धारा ४ के अनुसार अपने पद पर कार्य करेंगे।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,
डॉ. रश्मि सिंह (आई. ए.एस.), निदेशक

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(WOMEN EMPOWERMENT CELL)

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd July, 2021

F.No. 60(930)/DWCD/WEC/Recon. DCW/2020-21/6864-79.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Delhi Commission for Women Act, 1994 (Delhi Act 8 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby reconstitutes the Delhi Commission for Women for the National Capital Territory of Delhi consisting of the following persons with effect from 27.07.2021 to 26.07.2024, namely.—

- | | | |
|--|---|---------------------------------|
| 1. Ms. Swati Maliwal
B-635, Avantika, Rohini,
Sector-I, New Delhi-110085 | - | Chairperson |
| 2. Ms. Promila Gupta
16A, Old Market, Timarpur,
Delhi-110054 | - | Member |
| 3. Ms. Sarika Choudhary
6, Bhagwandas Road,
Mandi House,
New Delhi-110001 | - | Member |
| 4. Ms. Kiran Negi
JG-II, 174, Vikaspuri,
New Delhi-110018 | - | Member |
| 5. Ms. Firdos Khan
H-29, Race Course Masjid,
New Delhi-110003 | - | Member |
| 6. Ms. Vandana Singh
33/15, Rajpur Road, Civil Lines,
Delhi-110054 | - | Member |
| 7. Mr. P.P. Dhal
H.No. 1500, Sector-15, Sonapat,
Haryana-131001 | - | Member Secretary (Non-official) |

The Chairperson, Members and the Member Secretary of the Commission shall hold office for three years as provided under Section 4 of the Delhi Commission for Women Act, 1994.

By Order and in the Name of the Hon'ble Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

Dr. RASHMI SINGH (IAS), Director